Volume-9, No. 2 Aug.-2022, pp. Hin.40-47

बिजौलिया किसान आन्दोलन एवं राजनैतिक जन–चेतना

डॉ. दीपा कौशिक, सह आचार्य, इतिहास
राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ (चूरू)
राजस्थान भारत।

सार–
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम रही है और कृषक इसकी रीढ़ है। किसान वर्ग के कठिन परिश्रम के सहारे ही देश की पूरी आबादी के लिए अन्न, खाद्य पदार्थ और उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा होता है। लेकिन गंभीर स्थिति यह है कि बावजूद इसके किसान वर्ग सदा विपन्नता का शिकार रहा है। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पूर्व भू–राजस्व व्यवस्था परम्परागत, वंशानुगत और पैतृक होने के कारण भूमि संबंधी अधिकारों का लिखित होना आवश्यक नहीं था।
अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भूमि संबंधी झगड़े बहुत कम होते थे। यद्यपि गांवों की सीमायें निश्चित नही थी लेकिन विशेष झगड़ों का कारण नही थी। गांव का मुखिया या पटेल गांवो के अधिकारों की रक्षा करता था यद्यपि वह सरकारी कर्मचारी नही होता था। इस व्यवस्था में राज्य सरकार कर वसूली के लिये और कृषक अपने हितों की रक्षा के लिये पटेलो पर निर्भर रहते थे। अकाल पर किसानों को लगान से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इन कारणो से गावों की अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर थी। वस्तुतः राजस्थान में अग्रेजी हुकुमत की स्थापना से पूर्व किसान वर्ग संतुष्ट था, चाहे वह समृद्ध नही था। इसकी पुष्टि मेवाङ के सेटलमेंट अधिकारी स्मिथ ने भी की थी। किसानो के अपने शासकों (राजा व जागीरदार) के प्रति सम्बंध सौहार्द पूर्ण थे। बाह्य आक्रमण के समय कृषक अपने शासको को सहयोग देते थे और शासक वर्ग अपनी प्रजा के दुःख दर्द को समझते थे और उनकी रक्षा हेतु हर सम्भव प्रयास करतें थे।
मुख्य शब्द– विजयसिंह पथिक, बिजौलिया किसान आन्दोलन, मेवाड़ में किसान आंदोलन,

राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य के पश्चात वहां आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया अब औपनिवेशिक व सामन्ती शोषण के युग का प्रारम्भ हुआ। अपनी प्रजा के प्रति राजस्थान के राजाओं व जागीरदारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। वे अब अधिक स्वेच्छाचारी व निरंकुश होने लगे। इससे पूर्व मध्यकालीन ढांचें में जातीय अग्रता की नींव पर टिके सामाजिक ढांचे के शिखर पर शासक परिवार होता था। शासक और उसके अधिकांश सामंतों के पारस्परिक संबंध रक्त संबंधो व कुलीय भावना पर आधारित थे। राजस्थान के राज्यो में स्वामित्व की दृष्टि से भूमि दो प्रकार की थी, खालसा भूमि व जागीरी भूमि। जो भूमि सीधी शासक के नियंत्रण में होती थी वह खालसा भूमि और जो भूमि सामतों (जागीरदारों) के नियंत्रण में थी वह जागीरी भूमि कहलाती थी। सामंत अपने जागीरी क्षेत्र के आन्तरिक प्रशासन में सर्वोच्च होता था। वह उस क्षेत्र की कार्यकारिणी प्रशासनिक शक्तियों पुलिस व न्यायिक अधिकारों का उपभोग करता था।

19 वी. शताब्दी के अंतिम दशकों में राजस्थान के राजाओं व जागीरदारों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार कर लिया था। अग्रेजी सरकार के दबाव व परामर्श के कारण राजस्थान के राज्यों में मौद्रीकरण की व्यवस्था सम्पन्न हुई। चाकरी के बदले राजा लोग अपने जागीरदारों से निश्चित धनराशि लेने लगे। ब्रिटिश पदाधिकारियों के परामर्श से राजस्थान राज्य के खालसा क्षेत्र में भूमि बदोंबस्त की व्यवस्था की गई। अब भू राजस्व के तरीके में परिवर्तन हुआ। पटेल संस्था का ह्रास हुआ। कृषको के आत्मविश्वास में कमी आई ग्राम्य जीवन की आत्मनिर्भरता व सामंजस्य में कमी आने लगी। राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के उपरांत गांवों में महाजनों एवं जागीरदारों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। 'साद' प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र में महाजन से लगान अदायगी का आश्वासन लिया जाने लगा जिससे कृषक महाजनों

पर आश्रित हो गया। जागीरी क्षेत्र में यद्यपि भू–बंदोबस्त का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था लेकिन यहां कृषकों की स्थिति खालसा क्षेत्र में भी अधिक दयनीय थी। मेवाड़ उदयपुर राज्य में कुल भूमि का 75 प्रतिषत भाग जागीरदारों के नियंत्रण में था जबकि 25 प्रतिशत भाग खालसा भूमि सीधे शासन नियंत्रण में था। जागीर क्षेत्रों में भूमि की लगान की दर खालसा भूमि से अधिक होती थी और राजाओं के शासन के क्षेत्र की लगान अंग्रेजी राज के लगान की दर से अधिक थी। तरह–तरह की लाग–बाग और बेगार का असह्य भार किसान को ढोना पड़त था। जागीरी क्षेत्र में जागीरदार की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। यहां के किसान शोषण, दमन और उत्पीड़न के त्रस्त थे। सामंती शोषण से मानवता एवं नैतिकता का तत्व समाप्त हो गया था। जागीरदारी प्रथा के स्वरूप के विषय में महात्मा गांधी का विचार था कि–''ये जागीर राज्यों के एक और राज्य है उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है। ब्रिटिश सत्ता का सीधा नियंत्रण नहीं है। राजा भी जागीरदार के अधिकार क्षेत्र में उसकी जनत के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का साहस नही ंकर सकते।''

अंग्रेजों के आगमन से राजस्थान में कृषि की तरफ जनमानस का आकर्षण अधिक होने लगा। 1891 में जहां राजस्थान में 54 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। वहीं 1931 में यह संख्या बढ़ कर 73 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार कृषि श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप शोषण के अवसरों में बढ़ोतरी हुई। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक शासक उसकी रैययत तथा सामन्तों के बीच सदभावना सहयोग व समरसता की भावना थी। सदी के उत्तरार्द्ध में इस व्यवस्था में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया जो 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में कृषक असंतोष के रूप में दिखाई देने लगा। औपनिवेशिक राजशाही एवं सामंतवादी ताकतों के गठजोड़ एवं उनके दमन के खिलाफ राजस्थान के किसानों को त्रि–स्तरिय संघर्ष करना पड़ा। राजा–महाराजाओं जागीरदारों तथा उनके हाजरियों, हुजरियों, हुकारियों, प्रचारियों से लड़ाई लड़ते हुए यहां के किसानों ने अदम्य साहस एवं शोर्य का परिचय दिया।

कृषक असंतोष के कारण– उन्नीसवीं सदी के अन्त तक राजाओं के राज व जागीरदारों की जागीरें सुरक्षित हो गयी थी। पाश्चात्य वर्ग के परिणाम स्वरूप शासकीय वर्ग के रहन–सहन में परिवर्तन आने लगा। राजा और सामन्त विलासी होते गये। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाली शासकीय पीढ़ीयों में पश्चिमी व पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ने लगा था। विदेशी एवं कीमती वस्तुओं के प्रति बढ़ते सामंत पुत्रों के आकर्षण की पूर्ति हेतु जागीरदारों को नकद धन की आवश्यकता बढ़ने लगी। डॉ.एम. एस.जैन का मत है कि नयी आवश्यकताएं केवल धातु मुद्रा में ही प्राप्त की जा सकती थी। और धातु मुद्रा को प्राप्त करने के लिए सामंतो ने अपनी प्रजा एवं किसानों पर नयी लागतें थोंप दी। ज्यों–ज्यों आवश्यकताएं एवं विलासिताएं बढ़ती गयी किसानों का आर्थिक शोषण भी बढ़ता गया जिससे कृषकों में असंतोष फैलना स्वाभाविक था।

दूसरा मुख्य कारण जनसंख्या के बड़े भाग का कृषि भूमि पर निर्भर होना था। 18वीं सदी में कृषि भूमि की कमी न होने के कारण सामंतो को सदैव यह भय बना रहता था। कि कृषक जागीर छोड़ कर अन्य व्यवसाय न अपना ले अतः सामान्यतः उन्होने कृषकों के साथ उदार व्यवहार किया लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। कृषि भूमि की मांग बढ़ती जा रही थी। आय के अन्य स्त्रोत सूख रहे थे। कृषि श्रमिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अतः सामन्तों को अब कृषकों का भय नहीं रहा। परिस्थितियों का फायदा उठाकर सामन्त इच्छानुसार लागतों की संख्या में वृद्धि करते रहे। जागीर क्षेत्र में किसानों के आंदोलन का एक कारण यह भी था कि जागीरदार कृषकों से लगान माल एवं उपज के रूप में वसूल करते थे। आलोच्य काल में कृषि उत्पादन वस्तुओं के मूल्य में घटत एवं बढ़त होने से कृषक वर्ग घाटे में रहता था। क्योंकि जागीरदार लगान अनाज के रूप में लेता था।

एक अन्य प्रमुख कारण किसानों के साथ जागीरदारों का अमानवीय व्यवहार था। कृषकों को किसी भी समय भूमि से बेदखल किया जा सकता था। जागीर क्षेत्र में कृषकों से नये करों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की लाग बाग लेने की व्यवस्था थी। लागें दो प्रकार की थी। एक स्थायी लाग दूसरी अस्थायी लाग। खालसा क्षेत्र की अपेक्षा जागीर क्षेत्र में इनकी बहुलता थी। लोगों के साथ–साथ बेगार प्रथा भी प्रचलित थी। अतः जागीर क्षेत्र में किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी इसलिए किसान आंदोलन अधिकतर जागीर क्षेत्र में हुए। जागीर क्षेत्र में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में किसानों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ना स्वाभाविक था।

मेवाड़ में किसान आंदोलन– शोषण एवं अत्याचारों का प्रतिकार और स्वतंत्रता प्रियता मेवाड़ के शासकों की ही नहीं वरन प्रजा की भी स्वाभाविक प्रवृति रही हैं इसी प्रवृति के चलते मेवाड़ के किसानों ने आधुनिक युग में भी सामंती शोषण और अत्याचारों के विरोध और प्रतिकार में जो आंदोलन किये उनमें बिजौलिया और बेगूं के किसानों के आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनिय है। बिजौलिया के किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम व्यापक, संगठित शक्तिशाली किसान सत्याग्रह होने के साथ एक ऐसा आंदोलन था जो बिना किसी राजनैतिक संगठन व बाह्य सहायता के अपने सीमित साधनों के बल पर दीर्घ काल तक चला और भविष्य के किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्त्रोत रहा।

बिजौलिया किसान आन्दोलन– बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेंवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था जो अपने मूल निवास जगनेर (भरतपुर) सें महाराणा सागा की सेना में मेवाड़ आ गया था। खानवा के युद्व में (1527) में राणा सांगा की उल्लेखनीय सेवा के फलस्वरूप उसे ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। बिजौलिया इस जागीर का प्रमुख कस्बा था। इस ठिकाने में कुल 79 ग्राम थे। बिजौलिया जागीर क्षेत्र के पूर्व में कोटा बूंदी के राज्य दक्षिण में ग्वालियर राज्य की सीमा और उत्तर पश्चिम में मेवाड़ के राज्य थे । यहा की भूमि अत्यंत उपजाउ थी। अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर आधारित था। 1931 के अनुसार इस जागीर में धाकड़ जाति के किसानो की संख्या कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत थी। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। जाति के रूप में वें संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ निष्ठा थी।

राव केशवदास ने मराठो से अपने ठिकाने बिजोलिया को मुक्त करवाया था। वहा के किसानो ने इस कार्य में बहुत सहयोग दिया था। किसान व जागीरदार के संबंध भी मधुर थे गोविन्ददास की मुत्यु के उपरांत 1894 में स्थिति में परिवर्तन आने लगा और किशनसिंह के काल में संबंधो में उत्पीड़न व शोषण कों बढावा मिला। जागीर में लगान वसूली की प्रचलित लाटा–कूंता प्रणाली जागीरदार के लिये किसानो की लूटपाट का साधन बन गई। ए.जी.जी.आर ई–हालेड की मध्यस्था में जून 1922 मे जो ठिकाने व पंचायत के मध्य 7 फैसला हुआ उसके 74 लागतो की सूची प्रस्तुत की गई थी। किसानो की कमाई का 871 भाग जागीरदार लिया करतें थे। ठिकाने में कोई निश्चित नियम नही था। किसानो को अपनी भूमि से बदखल होने का सदैव भय बना रहता था। कृषक साहुकार के ऋण से दबा हुआ था। जागीरी क्षेत्र में स्कूलों व अस्पतालों का पूर्णतः अभाव था। जागीरदारों द्वारा किये जा रहें अत्याचारों व शोषण से क्षुब्ध किसान सांमती व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह करने के लिये उद्यत हो गया। बिजौलिया किसान आदोंलन का अध्ययन तीन भागों मे सुगमता से किया जा सकता है।

प्रथम चरण (1897–1915)– 1897 ई. में बिजोलिया ठिकाने के हजारो धाकड़ किसान एक मृत्युभोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्र हुये। ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानो ने आपसी विचार विमर्स से निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि के रूप में नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर के महाराणा फतेहसिंह से भेंट कर महाराजा को अपनी समस्याओं से अवगत कराये। उनकी शिकायतों की जांच के लिए महाराणा ने हामीद हुसैन को जांच करने व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में दी और किसानों की एक–दो लागतें कम करने को कहा लेकिन राज्य सरकार की निस्क्रियता एवं उदासीनता से बिजौलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने किसान विरूद्ध नीति अपनाते हुए नानजी एवं ठाकरी को ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। राव की दमनकारी नीति से कृषक वर्ग भयभीत व आतंकित हो गया और उसने अपनी कूटनीति से किसानों के संगठन को कमजोर कर दिया। इसी मध्य 1899–1900 ई में भयंकर दुर्भिक्ष छप्पनियां अकाल के कारण कृषकों की स्थिति पहले से और अधिक दयनीय हो गयी।

बिजौलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों के बोझ से दबा था। 1903 में ठिकानेदार राव किशन सिंह ने अपने ठिकाने के किसानों पर चंवरी नामक एक नयी लाग थोंप दी जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के समय 13 रूपये चंवरी लाग देना निर्धारित किया। यह नयी लाग किसानों पर न केवल आर्थिक भार थी बल्कि सामाजिक रूप से अपमानजनक थी। किसानों ने विरोद्ध स्वरूप अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया । कृषकों ने चंवरी से मुक्त करने के लिए विनती की तब राव ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा "इन लड़कियों को बाजार में बेच कर चंवरी कर जमा करवा दो।" कुछ खिन्न किसान ने बिजौलिया जागीर को

छोड़कर अपने माल–असबाब सहित बिजौलिया की सीमा पार कर ग्वालियर की ओर पलायन कर गये। जब यह सूचना राव तक पहुंची तो वह कृषकों को समझा–बुझाकर वापस ले आया और घोषणा की कि ठिकाना अब उपज का 1/2 भाग के स्थान पर 2/5 ही लेगा। कूंता निश्चित व्यवस्था के अनुसार करवाया जायेगा। चंवरी कर को आधा कर दिया जायेगा। किसानों को यद्यपि पूर्ण सफलता नहीं मिली। परन्तु इस घटना ने किसानों के भावी असहयोग एवं अहिंसात्मक आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। 1906 ई में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका नजदीकी रिश्तेदार पृथ्वीसिंह बिजौलिया ठिकाने का जागीरदार बना। नये जागीरदार ने 1904 ई में किसानों को मिली छूटों को वापस लेते हुए एक और नयी लाग तलवार बंधाई (उत्तराधिकार कर) किसानों पर थोंप दी और पहले से अधिक सख्ती बरतते हुए करों की वसूली करना प्रारम्भ कर दिया।

बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम साधु सीताराम दास ने किया। उन्होने किसानों के हित संरक्षण के उद्देश्य से समान विचार वाले गैर कृषक मित्र मंडल का निर्माण कर गांव में घूम–घूम कर लोगों को जागीरदारों के शोषण के विरूद्ध तैयार किया। मार्च 1913 में सीताराम दास के नेतृत्व में लगभग एक हजार कृषक राव से मिलने गये। लेकिन राव द्वारा मिलने से इंकार करने पर किसानों ने 1913–14 में जागीर भूमि पर खेती न करके उसको पड़त रखा और ठिकानें को कोई कर नहीं दिया इस वर्ष किसानों ने मेवाड़ की खालसा भूमि व पड़ोसी रियासतों की भूमि किरायेपर लेकर उस पर हल चलाया।

1914 में राव पृथ्वीसिंह का देहांत हो गया उसके पुत्र केसरी सिंह के अल्पव्यस्क होने के कारण जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वाईस के नियत्रंण में आ गया। राज्य सरकार में अमरसिंह राणावत को बिजौलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया। किसानों की दो मांगे थी। प्रथम ठिकाना पैदावार का 1/5 भाग कर के रूप में ले, द्वितीय अफीम कपास गन्ना सन आदि पर लिया जा रहा लगान कम किया जाये। 24 जून 1914 को किसानों के लिए कुछ रियायतें लागू कर दी गयी लेकिन उन्हे कभी लागू नहीं किया गया। 1913–14 का बिजौलिया किसान आंदोलन असफल रहा। रियायती पत्र के प्रसारित होने पर किसानों ने खेत जोतना पुनः प्रारम्भ कर दिया। आंदोलन के प्रथम चरण में किसान अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो गया और उसमें सामन्त विरोधी भावना प्रबल होने लगी। संयोग से विजय सिंह पथिक के कुशल नेतृत्व में बिजौलिया किसान आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया और द्वितीय चरण का सूत्रपात हुआ।

द्वितीय चरण–

विजयसिंह पथिक का वास्तविक नाम भूपसिंह था। ये मूलतः उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जिले की गुलावठी तहसील के निवासी थे। वे शचींन्द्र सांन्याल व रासबिहारी बोस गुट के सदस्य थे। राजस्थान में क्रांति के आयोजन के संबंध में भूपसिंह को साथियों सहित टॉडगढ़ किले के नजरबंद रखा। वहां से मेवाड़ के पहाड़ी व सघन जंगलों में भटकते हुये चित्तौड़ के निकट ओद्दड़ी ग्राम के निकट रहने लगे। अब उन्होने अपना नाम भूपसिंह से बदलकर विजयसिंह पथिक रख लिया। चितौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेषन में इनकी मुलाकाल सीताराम दास से हुई। सीताराम दास ने इन्हें बिजौलिया ठिकाने के अत्याचारों से उत्पीड़ीत व शोषित किसानों का नेतृत्व करने का आग्रह किया। जिसे इन्होनें सहर्ष स्वीकार कर लिया और 1916 में वे बिजौलिया पहुंचे।

विजयसिंह पथिक एक महान् क्रांतिकारी, प्रतिभा सम्पन्न, विलक्षण संगठनकर्त्ता व नीति निपुण नेता थे। जिनकी वाणी व लेखन में गजब की ओजस्विता थी। उन्होने सर्वप्रथम किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित करने के उद्देश्य से विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से किसानों के साथ सम्पर्क करना प्रारम्भ किया। माणिक्य लाल वर्मा जो बिजौलिया ठिकाने के कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक जी के सम्पर्क में आकर नौकरी से अवकाश ले उनके साथ किसानों को संगठित करने के काम में जुट गये।

बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण धाकड़ जाति पंचायत द्वारा चलाया जा रहा था। यह संगठन कमजोर प्रमाणित हुआ था। अतः विजयसिंह पथिक ने किसान आंदोलन को गति देने हेतु 1916 में बिजौलिया किसान पंचायत का गठन किया जिसकी शाखाएं जागीर के प्रत्येक ग्राम में खोली गयी। इसमें एक केन्द्रीय कोष की स्थापना की। जिसमें कृषक नियमित रूप से चंदा जमा करवाता था। इससे किसानों में स्वावलम्बन की भावना विकसित हुई जो आन्दोलन की सफलता का कारण भी बनी। मन्नालाल पटेल को किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया तथा

आंदोलन संचालन हेतु 13 सदस्यीय समिति गठित की गयी।

जन–जागरण की ये गतिविधियां अधिक समय तक सत्ताधारियों से छिपी नहीं रही। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर पथिक की गतिविधियों की जानकारी रखते थे अतः इनकी गिरफ्तारी के वांरंट जारी कर दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर पथिक बिजौलिया छोडकर भूमिगत हो गये और उमा जी के खेड़ा में रहने लगे। उपरमाल क्षेत्र में स्थान स्थान पर बालकों एवं प्रौढों को साक्षर करने हेतु पाठशालाएं खोल दी गयी। इनके माध्यम से क्षेत्र में राजनीतिक व क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होने लगा। उपरमाल निवासी विजयसिंह पथिक को 'महात्मा जी' कहकर संबोधित करते थे।

बिजौलिया के किसान लम्बे समय से बेगार, करों लागों व मनमाने राजनीतिक जुल्मों की चक्की में पिस ही रहे थे। अब प्रथम विश्वयुद्ध के समय से मेवाड़ राज्य द्वारा अपनी प्रजा से जबरन चन्दा एकत्र कर रहा था दूसरी ओर उपरमाल क्षेत्र में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ था, फसलें नष्ट हो गयी। किसान ऋणों से त्रस्त थे तब विजयसिंह पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और "1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। "

किसानों की लागतों व बेगारों को खत्म करने संबंधी हस्ताक्षरयुक्त पत्र किसान पंचायत के माध्यम से महाराणा, ठिकानेदार, चितौड के हाकिम, महकमा खास के पास भेजे गये लेकिन ठिकाना अपनी मनमानी करता रहा। अब किसानों ने ''सत्याग्रह'' का रास्ता अपनाया। पथिक ने किसानों को युद्ध चंदा में देने का आह्वान किया। गोविन्द निवास गांव के नारायण जी पटेल द्वारा बेगार करने से इन्कार करने पर कर्मचारियों ने उन्हे पकड़कर कैद में डाल दिया । सूचना मिलने पर लगभग 2000 किसानों ने बिजौलिया पहुंचकर ठिकाने के दफ्तर को घेर लिया। किसानों का नारा था '' इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो'' प्रशासकों ने भयभीत हो नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम महत्वपूर्ण विजय थी। इससे किसानों में आत्मविश्वास व उत्साह का संचार हुआ और पथिक जी के नेतृत्व में अगाध विश्वास व श्रद्धा जाग्रत हुई। पथिक जी की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारियों का साहस, लोकमान्य तिलक की कूटनीति व महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अनुपम सम्मिलन था। उत्पीड़न के विरूद्ध रूस में किसान एवं मजदूरों की अक्टूबर 1917 की क्रांति की सफलता से पथिक जी उत्साहित थे। क्रांति की सूचना साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल सुनार आदि नेताओं द्वारा किसानों को दी जा रही थी। उपरमाल के लोगों ने ठिकाने की लाग–बाग, भेंट, युद्ध चंदा आदि देने से इंकार कर दिया। आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायतों के माध्यम से करने लगे। अहिंसात्मक तौर पर सामन्ती व्यवस्था का इस प्रकार का विरोध मेवाड़ व राजस्थान में पहली बार हुआ। ठिकाने ने किसानों के विरूद्ध दमनकारी व अमानवीय नीति अपनायी। माणिक्यलाल वर्मा व सीताराम दास को गिरफ्तार कर लिया गया। धरना देने वाले सैंकडों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन किसान सत्याग्रहियों की अपूर्व शक्ति व साहस से उदयपुर सरकार ने भयभीत होकर अप्रैल 1919 में आंदोलनकारियों की सुनवायी हेतु ठाकुर अमरसिंह (मुंसरिम बिजौलिया) की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर बिजौलिया भेजा।

किसान आंदोलनकारियों ने जांच आयोग के सामने सर्वप्रथम अपने नेताओं को रिहा करने की मांग रखी। जिसे स्वीकार कर लिया गया। आयोग ने जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि किसानों का आंदोलन उचित है। उसने मेंवाड़ सरकार से कुछ लागतों व बेगार को समाप्त करने की सिफारिश की परन्तु महाराणा ने आयोग की अनुशंसा पर सामंत हित का ध्यान रखते हुए कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों का आंदोलन पूर्ववत चालू रहा।

विजयसिंह पथिक ने किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से गणेश शंकर विद्यार्थी से सम्पर्क किया। फलतः गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाषित प्रताप में बिजौलिया आंदोलन संबंधी समाचार प्रकाशन का स्थायी स्तम्भ ही खोल दिया। तिलक के पूना से प्रकाशित ''मराठा' समाचार पत्र, प्रयाग का 'अभ्युदय' व कलकता के 'भारत मित्र' आदि पत्रों ने भी बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन करना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप देशवासियों का बिजौलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यानाकर्षित हुआ। पथिक ने 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन और 1920 में नागपुर अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को रखा और आंदोलन का समर्थन किया एवं महाराणा फतेहसिंह की आलोचना संबंधी प्रस्ताव रखा। यद्यपि गांधीजी देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में

हस्तक्षेप के पक्षधर नहीं थे परन्तु गांधीजी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को एक पत्र सहित मेवाड़ भेजा। और बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन किया।

बिजौलिया के किसानों के अत्याचारों से द्रवित होकर लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेहसिंह को एक पत्र में लिखा था। ''मेवाड़ के राजवंश में अतीत में स्वतंत्रता के लिए अनेक बलिदान किये थे। महाराणा स्वयं भी स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं अतःएव मेवाड़ राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में ढूंसा जाना अपेक्षित नहीं है।" विजयसिंह पथिक ने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी और 1920 में अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से बिजौलिया ठिकाने की समस्यों को उजागर किया। 1919 में ही पथिक ने रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ स्थापना की और राजस्थान की शोषित व पीड़ित जनता को दोहरी दासता की चक्की से पिसते देखकर क्रांतिकारी लेखन किया। पथिक की सलाह पर किसाना पंचायतों ने निर्णय लिया की असिंचित माल भूमि को ही जोता जाये और सिंचित भूमि को पड़त रहने दें। सिंचित भूमि के पड़त रहने से ठिकाने की आय प्रभावित होती थी। ठिकाना प्रशासन ने इसे घातक समझ घोषणा कर दी की यदि किसान माल (असिंचित) भूमि जोतेगा तो उससे सिंची जाने वाली भूमि का लगान भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इस घोषणा से पुनः पंचायत व ठिकाने के मध्य संघर्ष छिड़ गया। गिरफ्तारियों का तांता लग गया। किसान पंचायत द्वारा राव व महाराणा को लिखे पत्रों व समाचार पत्रों के प्रचार के परिणाम स्वरूप अन्ततः राज्य सरकार ने ठिकाने प्रशासन को आदेश दिया की किसान ने जिस भूमि माल को जोता है उससे उसी भूमि का लगान वसूल करें। इस प्रकार यह किसानों की एक और विजय हुई।

'राजपूताना मध्य भारत सभा' के अधिवेशन में पथिक जी ने बिजौलिया का प्रश्न उठाकर किसानों के कष्टों की जांच हेतु एक आयोग बनाकर इसकी सूचना महाराणा को भिजवा दी थी। लेकिन महाराणा ने किसी बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप से इंकार कर तुरंत एक त्रि–स्तरीय जांच आयोग की घोषणा की लेकिन यह आयोग कभी बिजौलिया गया ही नहीं। अंततः माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पंद्रह सदस्यों का प्रतिनिधिमण्डल ने उदयपुर पहुंच कर किसानों की कठिनाईयों का विस्तृत विवरण सदस्यों के समक्ष रखकर न्याय की मांग की। आयोग का रूख कृषकों के प्रति सकारात्मक था परन्तु उनकी सिफारिश का भी महाराणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसी समय पण्डित मदनमोहन मालवीय भी किसानों का पक्ष लेकर महाराणा में मिले लेकिन कोई नतीजा नही निकला। वास्तव में उदयपुर राज्य सरकार पर ब्रिटिश विदेश विभाग का दबाव था। ब्रिटिश सरकार बिजौलिया किसान पंचायतो कों बोल्शेविक रूस के कम्यूनो का प्रतिरूप मानती थी।

महाराणा जांच आयोग की सिफारिशों कों लागू नही कर रहा था तब किसानो ने पुनः सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। उपरमाल की समस्त भूमि पड़त रखी गई ठिकाने की भू–लाग कर देना बंद कर दिया कचहरी व पुलिस का बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया था। परन्तु ठिकाने का दमन चक्र भी चरम सीमा पर पहुंच गया लेकिन बिजोलिया के किसानो का मनोबल उच्च स्तर पर था। रामनारायण चौधरी ने ब्रिटिश रेजिडेन्ट बिल्किसन से बिजोलिया मामले में हस्तक्षेप करने लगा, लेकिन उन्होने देशी राज्य के आंन्तरिक मामले में हस्तक्षेप से इकार कर दिया। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था, 1921मे यह और तीव्र हो गया था। दूसरी और मेवाड़ के बिजोलिया किसान आन्दोलन से प्रेरित होकर बेंगु, पारसौली, भैसरोरगढ बस्सी आदि ठिकानो के किसानो ने सामतों के विरूद्ध सघर्ष छेड़ उन्हे भूमिकर देना बद कर दिया था। इसके अतिरिक्त मेवाड़ के भील क्षेत्र मे एकी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। बिजोलिया के प्रत्येक स्त्री पुरूष की जुबान पर वन्देमातरम् का नारा था। इन्हें महात्मा गांधी का आशीर्वाद भी प्राप्त था। बिजोलिया के लोग एक दूसरे को कॉमरेड कहकर संबोधित कर रहे थे। मेवाड़ रेजीडेन्ट बिल्किसन ने स्थिति की भयावहता को देखते हुये 1921 में राजपुताना एजेन्सी रिपोर्ट से सरकार को अवगत कराते हुये लिखा कि बिजोलिया का आन्दोलन रूस की क्रान्ति के पदचिन्हो पर अग्रसर हो रहा है। बिल्किसन का मानना था कि आन्दोलन मुख्यतः राणा के विरूद्ध है, परन्तु ब्रिटिश शासित क्षेत्र में भी तुरन्त इसके फैलने की सम्भावना है।

स्थिति की गम्भीरता को थोपते हुयें ब्रिटिश सरकार ने एक उच्चात्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार दिया। ए. जी. जी. राबर्ट हॉलेण्ड उसके सचिव आगल्वी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजीडेन्ट बिल्किसन मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाषचन्द्र चटर्जी और राज्य

के मध्य हाकम बिहारी लाल को रखा। 4–फरवरी 1922 को यह कमेटी बिजोलिया पहुॅची। किसान पंचायत की और से सरपंच मोतीचन्द मंत्री नारायण पटेल राजस्थान मे सेवा संघ सचिव रामनारायण चौधरी तथा माणिक्यलाल वर्मा नें प्रतिनिधित्व किया। 11–फरवरी 1922 को दोनो पक्षो के मध्य एक समझौता हो गया। ए. जी. जी. हॉलेण्ड ने किसानो के पक्ष को सही माना। समझौते के अनुसार किसानो की लगभग 35 लागते समाप्त कर दी गई। तलवार बंधाई की राशि में कमी की गई। पड़त रखी भूमि पर लगान न लेने की बात कही गई। किसानो पर चल रहे मुकदमे वापस ले लिये गये। ठिकाने की तरफ से कुछ धन राशि शिक्षा व स्वास्थय के लिये खर्च करने प्रावधान किया गया। बेगारो पर रोक लगा की गई। यह समझौता बिजोलिया के किसानो के लिये महान विजय थी। बिजोलिया ठिकाने की निरकुंशता पर अंकुश लगाया गया। बिजोलिया किसान आन्दोलन मेवाड़ व समस्त राजस्थान के लिये अग्रगामी प्रभावित हुंआ। वें अपने निरंकुश सत्ताधारियो के विरूद्ध अपने अधिकारो के लिये संघर्ष करने को प्रेरित हुयें।

अहसयोग आन्दोलन के समाप्त होते ही ए.जी.जी. हॉलेण्ड किसानो के साथ हुये समझौते के प्रति उदासीन हो गया समझौतें का उल्लेघन करते हुयें किसानो पर पुनः नई लागते लगा दी, और लगान की मांग भी बढ गयी। इधर मेवाड़ सरकार ने बेगू किसान आन्दोलन के सिलसिले मे विजयसिंह पथिक को बंदी बनाकर साढे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना दी । 1923–26 तक का समय किसानो ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। 1926 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने भूमि बदोबस्त प्रस्तावित किया जिसमें पीवल क्षेत्रो के लिये लगान की दरो को थोड़ा कम कर दिया गया परन्तु बारानी क्षेत्र में लगान की दरो में वृद्धि कर दी गई। मार्च 1927 को किसान पंचायत में रामनारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित थे। बारानी क्षेत्र की भूमि के संबंध में विचार विमर्श हुआ। अब तक पथिक भी जेल से रिहा हो चुके थें। वे अभी भी बारानी भूमि को छोड़ने व अहिंसात्मक आन्दोंलन रखने कें पक्ष में थे। इसी बीच बारानी भूमि के संबंध में रामनारायण चौधरी पथिक जी मे मतभेद हो गयें दूसरी तरफ जागीरदार ने बारानी भूमि बढे लगान पर नये किसानो को दे दी। राजस्थान सेवा संघ छिन्न भिन्न हो गया और जागीरदार का हौसला बढ गया। पथिक आन्दोलन में अलग हो गये । सेठ जमनालाल ने अब किसानो का नेतृत्व सम्भाला का 1929 मे हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व सम्भाल लिया।

किसान अपनी छोड़ी गई भूमि प्राप्त करने के लिये अधीर थे लेकिन उनके प्रयास सफल नही हुये तब किसानो ने माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में अपनी भूमि प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह का निर्णय लिया। अक्षय तृतीया 1931 को प्रातः काल किसानो ने अपनी छोड़ी हुई भूमि पर हल चलाना प्रारम्भ कर दिया। ठिकाने के कर्मचारी पुलिस व सेना ने सत्याग्रहियों को कुचलने के लिये दमनकारी नीति का अनुसरण किया। माणिक्यलाल वर्मा को गिरफतार कर लिया। हरिभाउ उपाध्याय के उदयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंन्ध होने के कारण उन्होंनें दुर्गाप्रसाद चौधरी, लादूराम जोशी उनकी पत्नी रमादेवी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा आदि कार्यकत्ताओं को किसानो के मार्गदर्शन हेतु भेजा लेकिन उनके साथ भी अशिष्टता का व्यवहार किया गया। स्वयं के प्रयास निष्फल हो जाने के बाद हरिभाउ उपाध्याय ने अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। महात्मा गांधी, बिजोलिया किसानो की स्थिति से परीचित थे ही अतः उनकी सलाह पर मालवीय जी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव को एक पत्र लिखा। इस प्रकार बिजोलिया का मामला अब मेवाड़ राज्य तक ही सीमित नही वरन् इस ने अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया था।

मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री सुखदेव के आमंत्रण पर जमनालाल बजाज उदयपुर गये दोनो के मध्य हुयें समझौते पर इस बात पर सहमति बनी कि धीरे–धीरे किसानो को उनकी भूमि लौटा दी जायेगी। सत्याग्रही जेल से मुक्त कर दिये जायेगे लेकिन भूमि लौटाने संबंधी कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

1939 ई के बाद राजनैतिक कारणों से किसानों की भूमि लौटाई गयी। जेल से रिहा होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से निर्वासित कर दिये गये। इस प्रकार बिना सुयोग्य नेतृत्व के बिजौलिया आंदोलन शिथिल पड़ गया। 1938 में उदयपुर में प्रजामण्डल की स्थापना हो चुकी थी। किसानों की समस्या का पटाक्षेप 1941 ईस्वी में हुआ जबकि मेवाड़ के प्रधानमंत्री सत्र टी. विजय राघवाचार्य ने तात्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि वापस लौटायी। राजस्थान के देशी राज्यों के इतिहास में बिजौलिया किसान आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। इस

आंदोलन में किसान वर्ग ने अभूतपूर्व साहस, संयम धैर्य व त्याग का परिचय दिया। बिजौलिया के लंबे संघर्ष में ठिकाने व मेवाड़ राज्य के संयुक्त शक्ति का सामना कर अमानवीय अत्याचारों का दमन किया। आंदोलन के नेताओं और आंदोलनकारियों को जेल के अलावा अनेक शारीरिक यातनाएं सहन करनी पड़ी। किसानों की दृढ़ता ने बिजौलिया ठिकाने मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी हुकूमत को किसानों के साथ कई मौकों पर समझौता करने को बाध्य होना पड़ा। यह आंदोलन प्रथम संगठित, स्वावलंबी व अहिंसात्मक संघर्ष था। समय पर किसानों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। इसका संचालन स्थानीय पंचायतों के माध्यम से हुआ था। बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं का सहयोग व मार्गदर्शन तो मिला लेकिन उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति देशी राज्यों के मामलो हस्तक्षेप करने की नहीं थी। अतः इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त न हो सका।

निष्कर्ष–

बिजौलिया किसान आंदोलन भले ही अपनी इच्छित मंजिल तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका किन्तु यह आंदोलन सारे राजस्थान के किसानों में राजशाही, सामंतशाही एवं उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का संचार करने में सफल रहा। राजस्थान में सांमती शोषण के खिलाफ प्रथम संघर्ष था। इस आंदोलन ने राजस्थान के अन्य भागों के कृषक को भी आवाज उठाने व संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यह आंदोलन मेवाड़ राज्य की सीमा तक ही सीमित नहीं रहा वरन इस आंदोलन के बाद राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन की एक श्रृंखला प्रारम्भ हुई। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की नींव बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान ही पड़ी। इस आंदोलन ने माणिक्य लाल वर्मा जैसे तपस्वी नेताओं को जन्म दिया जिन्होनें बाद में स्वतंत्र मेवाड़ राज्य की स्थापन हेतु अनेक आंदोलनों का संचालन किया और अंततः मेवाड़ राज्य में उत्तरदायी सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री बने एवं छोटे ठिकाने के विरूद्ध आंदोलन होते हुए भी इस आंदोलन की गिनती दुनिया के बड़े किसान आंदोलनों में की जाती है। यह आंदोलन जन्मतः स्थानीय होते हुए भी अपने प्रभाव से देशव्यापी बन गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. एम.एस. जैन– आधुनिक राजस्थान का इतिहास
2. डॉ. रामप्रसाद व्यास – आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास, द्वितीय खण्ड
3. शंकर सहाय सक्सेना तथा पद्मजा शर्मा – बिजौलिया आंदोलन का इतिहास
4. उदयपुर राज्य का रिकॉर्ड, राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर– बिजौलिया आंदोलन पृष्ठ संख्या 13 से पृष्ठ संख्या 18 तक
5. संपादक डॉ हुकुम चन्द जैन एवं डॉ नारायण लाल श्रीमाली – राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, साहित्य परम्परा एवं विरासत
6. आर.एन. चौधरी– बीसवीं सदी का राजस्थान
7. बी. के शर्मा– पीजेन्ट मूवमेंट इन राजस्थान
8. हनुमानाराम इसराण– राजस्थान के किसान आन्दोलन
9. डॉ पेमारा – एग्रेरियन मूवमेंट इन राजस्थान, परिशिष्ट
10. सुमित सरकार– मॉर्डन इण्डिया 1885–1947, नई दिल्ली